(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 157 नई दिल्ली, **22 अगस्त 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के दरमान की वैधता को 31 अक्तूबर 2009 तक विस्तारित करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं.टीएएमपी/63/2005-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) ..... आवेदक

आदेश
(जुलाई 2009 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रचलित दरमान को पिछलीबार दिनांक 25 जनवरी 2007 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया था । अनुमोदित दरमान की वैधता को 31 मार्च 2009 तक निर्धारित किया गया था।

2.1. सीओपीटी ने दिनांक 11 मार्च 2009 के पत्र द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे विचार-विमर्श के लिए ले लिया गया है। चूंकि प्रस्ताव परामर्शी अवस्था में था, इस प्राधिकरण ने दरमान की वैधता को दिनांक 27 मार्च 2009 के आदेश द्वारा 31 जुलाई 2008 तक या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो विस्तारित किया था।

2.2. सीओपीटी द्वारा प्रशुल्क के संशोधन के लिए दाखिल प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई का आयोजन 20 जून 2009 को किया गया था। सीओपीटी के प्रस्ताव पर उभरे बिंदुओं पर मांगी गई अतिरिक्त सूचनाएँ / स्पष्टीकरण सीओपीटी से अभी तक प्रतिक्षित है। इसी बीच सीओपीटी ने दिनांक 14 जुलाई 2009 के अपने ई-मेल के द्वारा प्रचलित दरमान की वैधता को और आगे विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

3. सीओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता 31जुलाई 2009 को समाप्त होगी। यह समझते हुए कि सीओपीटी से अतिरिक्त सूचनाएँ / स्पष्टीकरणे प्राप्त होने पर प्रकरण को विश्लेषण करने में अधिक समय की जरुरत पडेगी, इस प्राधिकरण ने प्रचलित दरमान की वैधता समाप्त होने वाली तिथि से दिनांक 31 अक्तूबर 2009 तक या अनुमोदित किए जाने वाले संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है।

4. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है, तो वह अतिरिक्त अधिशेष, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष